

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

सा. का. नि. 2.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 1977 को, जहाँ तक उनका संबंध बायलर अटेन्डेन्ट के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, में बायलर अटेन्डेन्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, बायलर अटेन्डेन्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति -  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बायलर अटेन्डेन्ट	11* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य श्रेणी के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती

					है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी : होगी या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा / प्रतिनियुक्ति तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से द्वितीय श्रेणी का बायलर अटेन्डेन्ट का प्रमाण पत्र ; (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक स्थापना में बायलर में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव।	आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता - हां	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : संस्थान के ऐसे सहायक वर्कशॉप अटेन्डेन्ट जिन्होंने मैट्रिक्स पास की न्यूनतम अर्हता और बायलर अटेन्डेन्ट प्रमाण पत्र के साथ वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 4. कमांडिंग अफसर, मिलिट्री अस्पताल कसौली - सदस्य	लागू नहीं होता

नियमित सेवा की है।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली            | - अध्यक्ष |
| 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली      | - सदस्य   |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली | - सदस्य   |
| 4. कमांडिंग अफसर, मिलिट्री अस्पताल कसौली                | - सदस्य   |

[फा.सं. ए. 12018/20/2015-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 7th January, 2020

**G.S.R. 2.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the post of Boiler Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Boiler Attendant in the Central Research Institute, Kasauli in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Boiler Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of the recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix	Whether selection or Non-selection.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Boiler Attendant.	11*, (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non-selection.	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for the Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

10

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation from a recognised Board; (ii) A Second class Boiler Attendant Certificate from recognised board or Institute; (iii) Two years' experience of attending the Boilers in an industrial establishment recognized by State Government or Central Government.	Age: No Educational Qualifications: Yes.	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b>                      Workshop Attendant of the Institute in Level -1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis with Minimum Qualification of Matric and 2<sup>nd</sup> Class Boiler Attendant Certificate.  <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation</p>	<p><b>1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b>                      (1) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman                      (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member                      (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli: Member                      (4) Commanding officer, Military Hospital, Kasauli : Member.</p> <p><b>2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b>                      (1) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman                      (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member                      (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli: Member                      (4) Commanding officer, Military Hospital, Kasauli : Member</p>	<p>Not applicable.</p>

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

--	--

[F. No. A.12018/20/2015-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.